अध्याय - 64

छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002

(यथा संशोधित-अगस्त, 2004)

भण्डार क्रय नियम, 2002 का उद्देश्य

(अ) राज्य शासन के विभागों को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री उचित दरों पर निश्चित समयावधि में प्राप्त हो सके।

(ब) राज्य शासन को न्यूनतम दरों पर सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

(स) स्थानीय लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिले।

(द) यदि किन्हीं सामग्रियों का उत्पादन राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों द्वारा किया जाता है तो मूल्य एवं गुणवत्ता समान होने की दशा में सामग्रियाँ क्रय करने में ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता मिले।

भण्डार क्रय नियम

नियम -1 (1) ये नियम छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम, 2002 यथा संशोधित - अगस्त, 2004 कहलायेंगे।

(2) इनका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) ये नियम राजपत्र में अधिसूचित होने के दिनांक से लागू होंगे।

नियम 2- भंडार क्रय नियमों के अंतर्गत शासकीय क्रय का आशय शासकीय विभागों द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तुओं से है।

2.1 समस्त शासकीय विभागों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रम, मंडल, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय भी भण्डार क्रय नियमों की परिधि में रहेंगे।

नियम 3- ऐसी वस्तुएँ जो परिशिष्ट-1 में उल्लेखित हैं, की दरों एवं शर्तो का निर्धारण छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (सी.एस.आई.डी.सी.) द्वारा किया जावेगा तथा विभागों द्वारा क्रय इन दरों व शर्तों के अंतर्गत सीधे किया जा सकेगा। अन्य वस्तुएँ, जो परिशिष्ट-1 में उल्लेखित नहीं हैं, का क्रय संबंधित विभाग नियम-4 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसरण में करेंगे।

(अ) ''परंतु, परिशिष्ट-1 में अंकित वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टयां भारत सरकार के डीजीएस एण्ड डी (DGS&D) को जेम वेबसाईट (Gem web-site) में उपलब्ध हो, हेतु छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) द्वारा नया रेट कॉन्ट्रेक्ट (Rate Contract) नहीं किया जायेगा।''

(ब) ''परंतु शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, मंडलों, जिला एवं जनपद पंचायतों

तथा नगरीय निकायों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी सामग्री के क्रय संबंधित नीति, नियम एवं प्रक्रिया तथा आवश्यक होने पर दर निर्माण का कार्य इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जायेगा। इस हेतु सामग्री की सूची का निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जा कर भण्डार क्रय नियम, 2002 का परिशिष्ट-3 जारी किया जायेगा।''

नियम 4- शासकीय क्रय सामान्यत:निविदा के माध्यम से किया जायेगा। निविदा के संबंध में प्रक्रिया निम्नानुसार होगी

4.1 निविदा आमंत्रण के पूर्व क्रय की जाने वाली सामग्री का मापदंड तकनीकी ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

4.2 निविदा की शर्तों का निर्धारण किया जाएगा।

4.3 निविदा बुलाने की प्रक्रियाएँ-

4.3.1 एकल निविदा पद्धति- ऐसी एकल वस्तु जो कि सांपत्तिक प्रकृति (Proprietory Character) की हो तथा प्रतिस्पर्धा आवश्यक न समझी जाये, का क्रय एकल निविदा पद्धति अर्थात् एक फर्म से निविदा प्राप्त कर किया जावेगा परन्तु इस एकल वस्तु की वार्षिक आवश्यकता रु 10, 000 से अधिक की न हो।

4.3.2 सीमित निविदा पद्धति- साधारणत: ऐसे सभी आदेशों के मामले में अपनाई जानी चाहिये जिसमें अनुमानित वार्षिक क्रय राशि रु. 10,001 से रु 1,00000 तक हो। इसमें निर्माताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क स्थापित कर क्रय किया जाता है। इसके लिये यदि विज्ञापन जारी किया जाये तो एक भारी राशि विज्ञापन पर खर्च होगी, इसलिये इससे बचने हेतु कम से कम तीन निर्माताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि या पंजीकृत निर्माता (जिस विभाग में प्रचलन हो) से सीमित निविदा के आधार पर क्रय किया जा सकेगा।

''परंतु वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टयां भारत सरकार के जीडीएस एण्ड डी के जेम वेसाईट में उपलब्ध हो, का क्रय, क्रेता विभाग आवश्यकता जेम वेबसाईट (Gem Web-Side) से उक्त सामग्री सीधे क्रय कर सकेगा, किन्तु ऐसे क्रय के लिये क्रेता विभाग जेम वेबसाईट में संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेसिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण, विक्रेता की साख एवं एल 1 मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा।''

4.3.3 खुली निविदा पद्धति- इस पद्धति में हमेशा लोक विज्ञापन द्वारा नियमानुसार खुली निविदायें बुलाकर करना चाहिये। निविदा बुलाने हेतु निम्नानुसार लोक विज्ञापन किया जावे :-

जहाँ निविदा का अनुमानित मूल्य -	
रु. 100001 से रु. 2.00 लाख तक हो।	स्थानीय स्तर के बहुप्रसारित एक समाचार पत्र में।
रु. 2.00 लाख से अधिक तथा	प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार

रु. 10.00 लाख तक हो।	पत्रों में।
रु. 10.00 लाख से अधिक तथा रु. 20.00 लाख तक हो।	प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों तथा राष्ट्रीय स्तर के एक समाचार पत्र में।
रु. 20.00 लाख से अधिक	प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों में।

निविदा बुलाने की प्रक्रिया इंटरनेट पर की जा सकेगी।

"परंतु वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टयां भारत सरकार के डीजीएस एण्ड डी की जेम वेबसाईट में उपलब्ध हो, का क्रय उक्त खुली निविदा पद्धति या जेम पर उपलब्ध ई-बिडिंग (E-bidding) अथवा रिवर्स आक्शन (Reverse auction) प्रक्रिया से आवश्यकता अनुसार क्रय कर सकेगा।"

4.4. निविदा विज्ञप्ति- निविदा बुलाने हेतु संक्षिप्त निविदा प्रकाशित की जानी चाहिये, ताकि मितव्ययिता बनी रहे। क्रय की अन्य शर्तें टेण्डर फार्म के साथ दी जा सकती हैं।

4.4.1 निविदा सूचना के लिये विज्ञापन प्रपत्र का निर्धारण- निविदा विज्ञापन संक्षिप्त होने चाहिये। इसमें केवल क्रय की जाने वाली मुख्य सामग्री या जिस उद्देश्य से निविदा आमंत्रित की जा रही है उसका उल्लेख होना चाहिये। मुख्य शर्तें, यथा किस तिथि तक निविदा स्वीकार की जायेगी का उल्लेख विज्ञापन में होना अनिवार्य है। जहाँ तक शर्तों के विस्तृत विवरण का प्रश्न है, इस संबंध में केवल इतना उल्लेख पर्याप्त होगा कि निविदा की विस्तृत शर्तें निर्धारित तिथि के पूर्व कार्य दिवसों में संबंधित कार्यालय से टेण्डर फार्म के साथ प्राप्त की जा सकती है। किसी भी स्थिति में निविदा सूचना के लिये लम्बे-लम्बे विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिये।

4.4.2 निविदा सूचना का प्रारूप- इस हेतु निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट-2 में दिया गया है।

4.4.3 बुलाई गई निविदा को किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा।

4.5 निविदा हेतु समय - सीमा निम्नानुसार होगी :-

सीमित निविदा पद्धति	15 दिन
खुली निविदा (रु. 50,000 से अधिक रु. 10 लाख तक)	21 दिन
खुली निविदा (रु. 10 लाख से अधिक)	30 दिन
ग्लोबल निविदा	45 दिन

उपरोक्त सीमा की गणना निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से होगी।

4.61. निविदा प्राप्ति की पद्धति-

4.6.1 निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट (ए.डी.) अथवा स्पीड पोस्ट अथवा पी.एंड.टी. विभाग से अधिकृत कोरियर के द्वारा प्राप्त की जाएगी अथवा निर्धारित टेंडर बाक्स में डाली जाएगी।

4.6.2 रजिस्टर्ड डाक द्वारा निविदाएँ निर्धारित अंतिम तिथि के कार्यालयीन समय में 3.00 बजे अपरान्ह तक ही प्राप्त की जाए तथा इसका उल्लेख निविदा विज्ञप्ति में किया जायेगा।

4.6.3 निविदा खोलने का समय, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के निर्धारित समय के एक घण्टे पश्चात् अर्थात् उसी दिन 04.00 बजे अपरान्ह रखा जाएगा।

4.6.4 निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत किया जाएगा। एक लिफाफे में सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण-पत्र तथा दूसरे लिफाफे में निविदा प्रपत्र, तदनुसार लिफाफे के ऊपर लिखा जाएगा। सुरक्षा निधि वाले लिफाफे को पहले खोला जाएगा तथा पर्याप्त सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण-पत्र होने पर ही दूसरे लिफाफे अर्थात् निविदा प्रपत्र वाले को खोला जाएगा, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा।

4.6.5 जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, वह नहीं खोली जाएगी तथा वापस लौटा दी जाएगी। निविदा वापस करते समय निविदा के बंद लिफाफे पर निविदा लौटाने की तिथि व समय अंकित किया जाएगा।

4.7 **सुरक्षा निधि**- केवल वास्तविक प्रदायकर्ता फर्मे ही अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकें, इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक निविदा के साथ अनुमानित क्रय मूल्य का कम से कम 3 प्रतिशत सुरक्षा निधि प्राप्त की जाये। यह सुरक्षा निधि सफल निविदाकार की रोककर, शेष की 15 दिवस में वापस लौटा दी जाए। प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है तथा सक्षमता प्रमाण-पत्र प्राप्त है, उसका परीक्षण कर उन्हें शासकीय क्रय प्रक्रिया में भाग लेते समय सुरक्षा निधि जमा करने से छूट दी जाये। इकाईयों द्वारा इस आशय का प्रमाण, टेण्डर के साथ देने पर ही उन्हें छूट प्राप्त होगी।

4.8 **सुरक्षा निधि के प्रकार**- सुरक्षा निधि की निर्धारित राशि नगद में प्राप्त नहीं किया जायेगा। निविदाकार को यह सुरक्षा निधि चालान से निम्न लेखा शीर्ष में शासकीय खजाने में/उपखजाने में या बैंक की किसी भी शाखा में जहाँ शासकीय नगदी लेन-देन का कारोबार किया जाता है, जमा करके चालान की मूल पावती निविदा के साथ प्रस्तुत करें:-

"8443 - सिविल जमा राशियाँ 103 प्रतिभूति जमा"

निविदाकार चाहे तो सुरक्षा निधि शासकीय खजाने में जमा करने के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंकों के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा कर सकता है।